फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक - 29.06.2025

हत्या के अभियोग में नामित 03 अभियुक्तगण को मुठभेड़ के दौरान थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजेश कुमार द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पर दिनांक 29.06.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2025 धारा-103(1)/109(1)/333/352/351(2)/191(2)191(3) BNS के सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग में नामित 03 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड के दौरान आला कत्ल 01 अवैध अधिया 315 बोर व 01 लाइसेंसी बंदूक 12 बोर सहित ग्राम हरदुआ चौराहा थाना नवाबगंज से पुलिस हिरासत में लिया गया जिसमें पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त शेर सिह उर्फ सत्यपाल को घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार हेतु लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद भर्ती कराया गया है तथा गिरफ्तारशुदा शेष अभियुक्तगणों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ततो का नाम व पता -

1.शेर सिह उर्फ सत्यपाल(मुठभेड में घायल) पुत्र ओमकार सिंह
2.अनार सिंह पुत्र ओमकार सिंह
3.सतनाम पुत्र ओमकार सिंह निवासीगण ग्राम रामनगर पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 29.06.2025 को श्री उमेश चन्द्र पुत्र मुनीम सिंह निवासी ग्राम रामनगर पोस्ट पुठरी जनपद फतेहगढ द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगणों द्वारा नाजायज असलाह के साथ एक राय होकर वादी के घर में घुसकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नियत से लाइसेंसी व नाजायज असलाह द्वारा फायर करना जिसमें वादी की पुत्री पलक व वादी के चचेरे भाई महावीर पुत्र रामप्रकाश के गोली लगने से घायल हो जाना तथा वादी के पुत्र आकाश की गोली लगने से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0–145/2025 धारा 103(1)/109(1)/333/352/351 (2)/191(2) 191(3) बीएनएस बनाम शेर सिह उर्फ सत्यपाल आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम हरदुआ थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ के निकट पुलिस मुठभेड के दौरान अभियोग में नामित 1.शेर सिह उर्फ सत्यपाल 2.अनार सिंह 3. सतनाम पुत्रगण ओमकार सिंह निवासी ग्राम रामनगर पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड में घायल शेर सिह उर्फ सत्यपाल उपरोक्त का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद में चल रहा है। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं-146/25 धारा -109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तणों द्वारा एक राय होकर बताया कि उमेशचन्द्र व रामप्रकाश के परिवारीजनों से जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। दिनांक 28.06.2025 को जमीन को लेकर विवाद हो गया था। लडाई के दौरान हमने आकाश पुत्र उमेशचन्द्र व उमेशचन्द्र की लडकी पलक व महावीर को गोली मार दी थी। जिसमें आकाश की मृत्यु हो गयी है। इसी डर से आज हम लोग भागने की फिराक में थे कि आपने पकड लिया है। साहब हमसे गलती हो गयी है। शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया गया।

बरामदगी का विवरण -

1. एक अवैध अधिया 315 बोर मय 03 खोखा कारतूस
2. एक लाइसेन्सी बंदूक 12 बोर नम्बर 47745/1992 मय 05 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त शेर सिह उर्फ सत्यपाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं-145/25 धारा –103(1)/ 109(1)/333/352/351(2)/191(2) 191(3) BNS थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं-146/25 धारा -109(1) BNS & 3/25/30 A ACT थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।
3. मु0अ0सं- 242/24 धारा -323/504/325 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त अनार सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं-145/25 धारा 103(1)/109(1)/333/352/351(2)/191(2)191(3) BNS थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं-146/25 धारा 109(1) BNS & 3/25/30 आर्म्स ACT थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।
3. मु0अ0सं- 242/24 धारा -323/504/325 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त सतनाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं 145/25 धारा 103(1)/ 109(1)/333/352/351(2)/191(2) 191(3) BNS थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।
2. मु0अ0सं 146/25 धारा 109(1) BNS & 3/25/30 A ACT थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री विद्या सागर तिवारी
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव
3. उ0नि0 श्री रमाशंकर पचाल
4. मुख्य आरक्षी सुखवीर सिंह
5. आरक्षी सुधान्शु चौहान
6. आरक्षी हर्षित चौहान
7. आरक्षी हरिओम सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक 29.06.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा छेडछाड के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2025- धारा 333/74 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अभियुक्त रामू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरणः- दिनांक 29.06.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त रामू उपरोक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की गई। तहरीर के आधार पर थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 333/74 बीएनएस बनाम रामू उपरोक्त विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम मे मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे नामित अभियुक्त 1. रामू पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम नगला हूसा थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त रामू नें पूछने पर बताया कि साहब गलती हो गई माफ कर दीजिए।

अभियुक्त रामू का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 91/2025 धारा 333/74 BNS थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विमल कुमार
2. म0का0 पूनम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 29.06.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री हरिश चन्दर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2025 व मु0अ0सं0 88/25 धारा क्रमशः 331(4),305,317(2) BNS से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त निकट उर्फ निखत पुत्र गुड्डू निवासी रकाबगंज खुर्द थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद को दिनांक 29.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01.सुखराम पुत्र जयपाल कठेरिया निवासी ग्राम कुबेरपुर घाट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: वादिनी द्वारा दिनांक 27.06.2025 की शाम को थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी कि उसकी मूक बधिर पुत्री के साथ सुखराम पुत्र जयपाल कठेरिया निवासी ग्राम कुबेरपुर घाट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ने दिनांक 25.04.2025 को गाँव के खेत में खींच कर जबरदस्ती बलात्कार किया, जब उसकी पुत्री गर्भवती हो गयी तब वह जान पायी और थाने पर घटना की तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 27.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 195/2025 धारा 64(2)K/352/351(3) BNS बनाम सुखराम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त सुखराम उपरोक्त को अभियोग पंजीकृत होने के 48 घण्टे के अन्दर दिनांक 29.06.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त सुखराम उपरोक्त ने पूछने पर मांफी मांगते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में देना बताया।

अभियुक्त सुखराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 195/2025 धारा 64(2)K/ 352/351(3) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री मुनीर खान
3. आरक्षी हरवीर

मीडिया सेल फतेहगढ़।